प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण संख्या 44/2021

सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सद्भाव हाउस, लॉ गार्डन पुलिस चौकी के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात–380006, जिला अहमदाबाद, गुजरात।

----पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ सरकार, सिरपुर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़–492001, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़।

2.छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक हेतु :श्री सरोजानंद झा,श्री अभ्युदय सिंह तथा सुश्री राजरीता घोष अधिवक्तागण

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री राहुल तमस्कर, शासकिय अधिवक्ता

एकल पीठ.–माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

23.06.2025

1.छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (इसके बाद, 'अधिनियम') की धारा 19 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, आवेदक ने इस दीवानी पुनरीक्षण याचिका को दायर किया है, जिसमें अधिनियम के तहत संबंधित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06/07/2021 (अनुलग्नक ए–1) को पारित किए गए निर्णय और आदेश की वैधता, औचित्य और शुद्धता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आवेदक द्वारा

दायर संदर्भ याचिका संख्या 03/2017 को अधिनियम की धारा 7(5) के साथ पढ़े गए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 में निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसे सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया है।

2. उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर दी गई है: --

(i) उत्तरवादी संख्या 2 ने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना (सीएसआरएसडीपी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम की परिकल्पना की थी,जिसे विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाना था और उक्त उद्देश्य के अनुसरण में, चरण 2 के अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग (उत्तरवादी संख्या 1) ने राजिम से महासमुंद तक राज्य राजमार्ग के पुनर्वास और उन्नयन के लिए संविदा पैकेज संख्या 8 हेतु 01/05/2007 को पूर्व-योग्य बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित कीं, जो आवेदक को 17/12/2007 को 40,62,12,599/- रुपये की राशि पर प्रदान किया गया था (अनुलग्नक ए-6)।

(ii) संविदा करार पर हस्ताक्षर होने के बाद, उत्तरवादी संख्या 2 ने संविदा पैकेज 8 के लिए संविदा करार के खंड 3 के तहत एसएमईसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को इंजीनियर नियुक्त किया।इसके बाद, आवेदक ने दिनांक 16/04/2008 को इंजीनियर को पत्र लिखकर मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उप-ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 से अनुमोदन मांगा और उत्तरवादी संख्या 1 ने जीसीसी के खंड 4.4 और पीसीसी के उपखंड 4.4 (अनुलग्नक ए-8) के अनुसार कुल कार्य के 25% तक इसे अनुमोदित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) आवेदक द्वारा मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के माध्यम से संविदा के अंतर्गत कार्य 17/07/2009 को पूरा किया गया था तथा उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा 17/12/2009 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें आवेदक को 'मुख्य ठेकेदार' और मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 'उप-ठेकेदार' प्रमाणित किया गया था (अनुलग्नक ए-13)।

(iv) इसके बाद, चूंकि संविदा के संबंध में पक्षों के मध्य कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, आवेदक ने संविदा के तहत मध्यस्थता का सहारा लिया और पक्षों ने अपने-अपने मध्यस्थों को नामित किया तथा संविदा करार में मध्यस्थता खंड के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया।हालाँकि, उत्तरवादी संख्या 1 मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तावित शुल्क पर सहमत नहीं हुआ और मामला गतिरोध में फंस गया, इसलिए आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1810/2014 दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 18/12/2014 के आदेश (अनुलग्नक ए-41) के माध्यम से आवेदक को अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण में जाकर अपने विवादों का निराकरण कराने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

(v) तदनुसार, आवेदक ने अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ याचिका दायर की, जिसका संदर्भ मामला संख्या 03/2017 (अनुलग्नक ए-42) है। 10,59,785/- रुपये का न्यायालय शुल्क भुगतान सहित सभी कमियों को दूर करने के बाद,यह स्वीकार किया गया था, लेकिन उत्तरवादीगण ने आपत्ति याचिका (अनुलग्नक ए-43) दायर कर संदर्भ याचिका को खारिज करने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया

गया कि संविदा का उल्लंघन हुआ है क्योंकि जीसीसी के खंड 4.4 और पीसीसी के उपखंड 4.4 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 'ठेकेदार 25% से अधिक कार्यों का उप–संविदा नहीं करेगा' जबकि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र में,यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि 100% कार्य मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, न कि आवेदक द्वारा, जो जीसीसी के खंड 4.4 और पीसीसी के उपखंड 4.4 का उल्लंघन है। आवेदक ने आपत्ति आवेदन का विरोध करते हुए उत्तर दाखिल किया और प्रस्तुत किया कि उप संविदा उत्तरवादी संख्या 1 की अनुमति से मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी उन्होंने ही जारी किया है जिसमें आवेदक को मुख्य ठेकेदार और मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उप–ठेकेदार बताया गया है, इसलिए इस स्तर पर उत्तरवादीगण द्वारा आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

(vi) माननीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 06/07/2021 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए–1) द्वारा आवेदक द्वारा दायर संदर्भ याचिका को सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 और अधिनियम की धारा 7(5) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया कि संविदा का संपूर्ण कार्य मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया है, जो जी.सी.सी. के खंड 4.4 और पी.सी.सी. के उपखंड 4.4 का उल्लंघन है और यह संविदा का उल्लंघन है क्योंकि आवेदक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे व्यथित होकर आवेदक ने यह दीवानी पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सरोजानंद झा ने निवेदन किया गया कि माननीय न्यायाधिकरण ने आवेदक द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रावधान का उल्लेख करते हुए दायर की गई संदर्भ याचिका को खारिज करने में त्रुटि की है, क्योंकि सीपीसी के प्रावधान केवल अधिनियम की धारा 12 तक ही लागू होंगे और इस संबंध में इथियोपियन एयरलाइंस बनाम गणेश नारायण सबू 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार किया जा सकता है।उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पक्ष में उप–संविदा करने से आवेदक का उत्तरवादीगण पर वाद करने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।इस समर्पण के समर्थन में, वह जोनल जनरल मैनेजर, आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम विनय हेवी इक्विपमेंट्स 2 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते है।इस स्थिति में, आक्षेपित आदेश/ अधिनिर्णय को अपास्त किया जाए और प्रकरण को न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाए ताकि आवेदक के दावे पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता श्री राहुल तमास्कर ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि आवेदक ने संविदा का उल्लंघन करते हुए, विशेष रूप से जीसीसी के खंड 4.4 और पीसीसी के उपखंड 4.4 का उल्लंघन करते हुए, मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 100% कार्य आवंटित किया था। इसलिए, माननीय न्यायाधिकरण ने आवेदक द्वारा दायर संदर्भ याचिका को उचित ढंग से खारिज कर दिया है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके उपरोक्त तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

6. यह स्वीकार किया जाता है कि विचाराधीन संविदा मुख्य ठेकेदार को जीसीसी के खंड 4.4 और पीसीसी के उप–खंड 4.4 के अनुसार 25% कार्य को उप–संविदा करने की अनुमति देता है। अपीलकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 1 से संविदा पैकेज–8 के लिए मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उप–ठेकेदार नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी और 23/04/2008 के पत्र (अनुलग्नक ए–8) द्वारा 25% कार्य को उप–ठेके पर देने की अनुमति भी दी गई थी। निर्धारित समापन तिथि 20/12/2009 के मुकाबले कार्य 17/07/2009 को पूरा हो गया था। हालांकि, मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 100% कार्य निष्पादित किया गया था और इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा 17/12/2009 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को 'मुख्य ठेकेदार' और मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 'उप–ठेकेदार' प्रमाणित किया गया था (अनुलग्नक ए–13)। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 15/12/2009 के पत्र द्वारा मुख्य ठेकेदार ने सूचित किया है कि शेष 75% कार्य भी पूरा हो चुका है। उपठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके कार्य पूरा किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अब, विचार हेतु उत्पन्न होने वाले दो प्रश्न इस प्रकार हैं: ––

I. क्या माननीय न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 और अधिनियम की धारा 7(5) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दायर की गई संदर्भ याचिका को गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिए बिना प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने में उचित निर्णय लिया है?

II. क्या अपीलकर्ता द्वारा मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पक्ष में उप–संविदा करने से उत्तरवादीगण पर वाद करने और अपना दावा उठाने का अपीलकर्ता का अधिकार समाप्त हो जाएगा?

<u>प्रश्न संख्या (I) का उत्तर: ––</u>

8. यह अब कोई विवाद का विषय नहीं है कि सीपीसी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण पर केवल सीमित अर्थों में ही लागू होती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 में प्रावधान है, जो इस प्रकार है: ––

"12. साक्ष्य की खोज, साक्ष्य प्रस्तुत करने, शपथ पत्र आदि के संबंध में न्यायाधिकरण या पीठ की शक्ति – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, न्यायाधिकरण को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद की सुनवाई करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात्: ––

(क) खोज एवं निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य करना और शपथ पर उससे परीक्षा करना;

(ग) किसी विवाद के विवाद्यक पर किसी विशेषज्ञ से परीक्षा करना या किसी पक्ष को विशेषज्ञ कि परीक्षा की अनुमति देना, जहां साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के तहत ऐसे विशेषज्ञ की राय सुसंगत हो;

(घ) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए लेखा–पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

(ड) आयोग जारी करना;

(च) पक्षकार या किसी साक्षी के शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का प्रमाण मंगवाना और यह आदेश देना कि संबंधित न्यायाधिकरण या पीठ द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर सुनवाई में ऐसा शपथ पत्र पढ़ा जाए"

9. अतः, अधिनियम की धारा 12 न्यायाधिकरण के समक्ष खोज एवं निरीक्षण, साक्षीयों की उपस्थिति, विशेषज्ञ साक्षीयों की उपस्थिति, लेखा–पुस्तकों के प्रस्तुतीकरण, कमीशन तथा शपथपत्र मंगवाने आदि के संबंध में कार्यवाही पर लागू होगी, और सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत निहित प्रावधान को उक्त अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया है

10. इथियोपियन एयरलाइंस (उपरोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उपभोक्ता मंच के समक्ष कार्यवाही में सीपीसी की धारा 86 लागू होगी, जिसका उत्तर माननीय न्यायाधीशों ने नकारात्मक में दिया तथा निम्नानुसार निर्णय दिया: ––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"72. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है क्योंकि पुराने और अधिक सामान्य विधि को हाल ही में बने विशेष विधि, अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और हवाई परिवहन अधिनियम, 1972 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।इथियोपियन एयरलाइंस वर्तमान मामले में विचाराधीन मुकदमे में संप्रभु प्रतिरक्षा की हकदार नहीं है।"अतः, अपीलकर्ता इथियोपियन एयरलाइंस को भारतीय न्यायालय में वाद के अधीन करने के लिए केंद्र सरकार की किसी अन्य सहमति की आवश्यकता नहीं है।"

11. अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा इथियोपियन एयरलाइंस (उपरोक्त) मामले में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांत को देखते हुए, माननीय न्यायाधिकरण द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 में निहित प्रावधान का प्रयोग करना सरासर अनुचित है, क्योंकि इसे न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया है। विधिक व्याख्या का यह स्थापित सिद्धांत है कि बाद में बने विशिष्ट विधि पूर्ववर्ती सामान्य कानूनों पर अधिभावी होते हैं।अतः, न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 12 में दी गई अपनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, न कि सीपीसी की प्रक्रिया का। अतः, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का प्रयोग करना सरासर अनुचित है।

प्रश्न सं. (II)का उत्तर : ––

12. इस संबंध में 'उप–संविदा' के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने **आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि मालिक को उप–ठेकेदार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाने वाले संविदात्मक प्रावधान के बिना, मालिक और ठेकेदार के बीच तथा ठेकेदार और उप–ठेकेदार के बीच संबंध स्पष्ट नहीं रहता है और कंडिका 9 में निम्नानुसार कहा है: ––

9. जहां तक प्राथमिक दायित्व का प्रश्न है, उप–संविदा और नियोक्ता के दायित्व संबंधी विधि पूरी तरह स्पष्ट है।मुख्य संविदा में इसके विपरीत किसी प्रावधान के अभाव में, संविदा की गोपनीयता से संबंधित नियमों का अर्थ यह होगा कि नियोक्ता और मुख्य ठेकेदार के बीच तथा उप–ठेकेदार और मुख्य ठेकेदार के बीच विधि संबंध बिल्कुल स्पष्ट और पृथक होंगे।अपीलकर्ताओं और एस. आई. पी. सी. ओ. टी. के बीच हुए मुख्य संविदा में ऐसा कोई विपरीत प्रावधान नहीं है जिसे अपीलकर्ताओं ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया हो, जो हमें उत्तरवादी उप–ठेकेदार के प्रति नियोक्ता के रूप में अपीलकर्ता–ठेकेदार के विशिष्ट और एकमात्र दायित्व की धारणा से विचलित होने के लिए प्रेरित करे।इसके विपरीत, संविदा सी1 तथा सी2 में "बैक टू बैक क्लॉज़" के अस्तित्व का निर्धारण करने का अधिकांश प्रयास निराधार प्रतीत होता है।इस प्रकार के समायोजन या दायित्व के हस्तांतरण को मुख्य संविदा में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है, क्योंकि उपठेकेदार के दावों के दायित्व की एस. आई. पी. सी. ओ. टी. की स्वीकृति ही सर्वोपरि है; यहां तक कि संविदा सी1 तथा सी2 में "बैक टू बैक" दायित्व दर्शाने वाला खंड भी मुख्य संविदा को नया रूप देने और एस. आई. पी. सी. ओ. टी. पर भुगतान दायित्व थोपने का काम नहीं करेगा, क्योंकि यह गोपनीयता के कारण वर्जित होगा। यह मुख्य संविदा में उपठेकेदार के दायित्व की एस. आई. पी. सी. ओ. टी. की स्वीकृति का मामला होगा, न कि दो पक्षों द्वारा एक अलग द्विपक्षीय संविदा में एस. आई. पी. सी. ओ. टी. पर थोपे गए दायित्व के कारण नए रूप देने का।हमारे समक्ष प्रस्तुत किसी भी बात से यह संकेत नहीं मिलता कि एस. आई. पी. सी. ओ. टी और अपीलकर्ता के बीच हुए संविदा में "लगातार" उप–संविदा का प्रावधान था, जिसके तहत ठेकेदारों द्वारा उठाए गए भुगतान दावों के लिए एस. आई. पी. सी. ओ. टी सीधे तौर पर उत्तरदायी होता।मध्यस्थ (दोनों मध्यस्थताओं में) ने पाया है कि उप–संविदा का प्रावधान मुख्य संविदा में था और वास्तव में हुआ भी था, और विचारण न्यायालय ने इसकी पुष्टि की है।हालांकि, यह इस निष्कर्ष से बिल्कुल भिन्न है कि एस. आई. पी. सी. ओ. टी ने संविदा के अनुसार (मुख्य संविदा में) अपीलकर्ता के साथ किए गए करार के संबंध में उप–ठेकेदार–प्रतिवादी के भुगतान दावों के लिए प्राथमिक दायित्व ग्रहण किया था।यह तथ्य कि उत्तरवादी एसआईपीसीओटी और अपीलकर्ता के बीच हुई वार्ताओं और बैठकों में उपस्थित था या उनके बीच हुए पत्राचार में उसका उल्लेख किया गया था, इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाता कि त्रिपक्षीय संविदा स्वतः ही प्रभावी हो गया था।"

13. इसी प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बनाम मेसर्स पीसीएल–इंटरटेक लेनहाइड्रो कंसोर्टियम जेवी 3** के मामले में, "क्या उप–संविदा दावों को रोकता है" के प्रश्न पर निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उप–संविदा को नियमित करने और यह जोर देने के बाद कि इससे याचिकाकर्ता संविदा के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा, यह बात अप्रासंगिक हो जाती है कि कार्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी द्वारा स्वयं किया गया था या उसके उप–ठेकेदार के माध्यम से।उप–संविदा देने से उत्तरवादी संविदा के तहत अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाता; इसी प्रकार, इससे याचिकाकर्ता पर दावा करने का उत्तरवादी का अधिकार भी समाप्त नहीं हो जाता है।

14. उपरोक्त विधिक चर्चा के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह आक्षेपित नहीं है कि जीसीसी के खंड 4.4 और पीसीसी के उप–खंड 4.4 में स्पष्ट रूप से 25% कार्यों तक उप–संविदा की अनुमति दी गई है, हालांकि, आवेदक ने मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उप–ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन मांगा था, जिसे उत्तरवादी संख्या 1 (अनुलग्नक ए–8) द्वारा 25% तक विधिवत अनुमोदित किया गया था और कार्य पूर्ण होने के बाद भी, 17/12/2009 को आवेदक के पक्ष में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था (अनुलग्नक ए–13) जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदक को 'मुख्य ठेकेदार' और मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 'उप–ठेकेदार' बताया गया था और कहा गया था कि उप–ठेकेदार द्वारा 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसके लिए उत्तरवादीगण द्वारा आवेदक यानी मुख्य ठेकेदार को भुगतान किया जा चुका है, सिवाय आवेदक के आक्षेपित दावे के।

15. इसी तरह, उप–ठेकेदारों से संबंधित जीसीसी के खंड 4.4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ठेकेदार किसी भी उप–ठेकेदार, उसके एजेंटों या कर्मचारियों के कृत्यों या चूक के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वे ठेकेदार के कृत्य या चूक हों, जब तक कि विशेष शर्तों में अन्यथा न कहा गया हो। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि संविदा की गोपनीयता मुख्य ठेकेदार अर्थात आवेदक और उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के मध्य है।अतः, मेरा यह सुविचारित मत है कि आवेदक द्वारा मेसर्स जीकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को उप–संविदा देने से आवेदक को विधि के अनुसार प्रतिवादियों पर अपना दावा उठाने या वाद करने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। इस स्थिति में, न्यायाधिकरण द्वारा उत्तरवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करना और आवेदक द्वारा दायर संदर्भ याचिका को अस्वीकार करना सरासर अनुचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. तदनुसार, दिनांक 06/07/2021 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए–1) अपास्त किया जाता है और मामले को न्यायाधिकरण को संदर्भित याचिका की सुनवाई के लिए वापस भेजा जाता है, जिसे उसके मूल क्रमांक पर पुनः स्थापित किया जाता है, और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए।

17. इस सिविल पुनरीक्षण को स्वीकृति दि जाती है।इस आदेश की एक प्रति सूचना तथा अनुपालन हेतु संबंधित न्यायाधिकरण को भेजी जाए।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur